

डिक्री व मुकदमे की इब्तजाई

(आदेश 20 नियम 17 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांसवाडा जिला बांसवाडा (राज)

पीठासीन अधिकारी: गोपाल लाल बंजारा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 16/2018

उनवान मुकदमा:

श्रीमती धनु बेन पत्नी श्री कनकमल जी जैन, उम्र 62 वर्ष जाति जैन निवासी खान्दु कॉलोनी, बांसवाडा (राज.)
—वादी

बनाम

- 1 श्री दोलजती पिता स्व. श्री गलिया भील, जाति भील, निवासी डाबरीमाल तहसील आंबापुरा जिला बांसवाडा (राज.)
- 2 श्री रूपचन्द पिता स्व. श्री गलिया भील, जाति भील, निवासी डाबरीमाल तहसील आंबापुरा जिला बांसवाडा (राज.)
- 3 श्री मेगजी पिता स्व. श्री गलिया भील, जाति भील, निवासी डाबरीमाल तहसील आंबापुरा जिला बांसवाडा (राज.)
- 4 श्रीमती हुरा बेवा गलिया भील, जाति भील, निवासी डाबरीमाल तहसील आंबापुरा जिला बांसवाडा (राज.)
—प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 188, 209 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955

डिक्री

दिनांक 20.02.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरू हमारे पेश होकर हुकम दिया जाता हैं व डिक्री दी जाती हैं। वादा वादी स्वीकार किया जाकर प्रश्नगत आराजी नम्बर 603/370 रकबा 13 बीघा 10 बिस्वा कृषि भूमि वाके गांव डाबरीमाल पटवार हल्का वरवाला राजीया, तहसील आंबापुरा जिला बांसवाडा (राज.) में स्थित भूमि में प्रतिवादीगण को जरिये निपेधाजा पाबन्द किया जाता हैं कि वादीया की उक्त भूमि में वादीया को कृषि कार्य करने, आने-जाने में स्वयं या किसी अन्य से रुकावट पेदा नही करे न ही उक्त भूमि में कब्जा करने का प्रयास करे तथा वादीया को शान्तिपूर्वक उक्त सर्वे नम्बर की भूमि में कृषि कार्य करने में कोई व्यवधान या बाधा उत्पन्न नही करे। इस आशय की डिक्री जारी की जाती है।

पक्षकारान वाद व्यय अपना-अपना वहन करेगें।

वसवत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 20.02.2024 कोक जारी की गई।

मुहर

दस्तखत.....
ओहदा उपखण्ड अधिकारी
बांसवाडा, जिला बांसवाडा (राज.)